संख्या-527/2025/216के-2/22-3-2025-17(369)/25

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर पुत्र श्री चिरंजीलाल, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक 29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर (बंदी संख्या-19468) पुत्र श्री चिरंजीलाल, जो नगला टटी कुरामई, थाना-मिरहची, जनपद-एटा का निवासी है। बंदी द्वारा (1) दिनांक 10-10-1998 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी रंजिश में अपने भाई बाबूराम की हत्या तथा अपने पिता का अपहरण कर हत्या करने के अपराध में सत्र परीक्षण सं0-06/1999 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 364/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या-01, एटा के आदेश दिनांक 07-10-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा (2) दिनांक 20-01-2002 को बंदी द्वारा अपने भाई सत्यप्रकाश के साथ मिलकर पिता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से अपने चाचा श्री प्रताप की हत्या करने के अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-460/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-02, एटा के आदेश दिनांक 23-07-2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बंदी जी0एस0टी0 नं0-560/2002 में यू0पी0जी0 एक्ट की धारा-2/3 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर कोर्ट संख्या-2, एटा के आदेश दिनांक 28-09-2017 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 44 वर्ष, 01 माह, 14 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य में अपराध की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, पक्षों में तनाव तथा शान्ति व्यवस्था भंग होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 02 घटनाओं में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शंकर पुत्र श्री चिरंजीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर (बंदी संख्या-19468) पुत्र श्री चिरंजीलाल, जो नगला टटी कुरामई, थाना-मिरहची, जनपद-एटा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-216(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-527/2025/216के-2/22-3-2025-17(369)/25

दिनांक 25 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर (बंदी संख्या-19468) पुत्र श्री चिरंजीलाल, जो नगला टटी कुरामई, थाना-मिरहची, जनपद-एटा का निवासी है। बंदी द्वारा (1) दिनांक 10-10-1998 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी रंजिश में अपने भाई बाबूराम की हत्या तथा अपने पिता का अपहरण कर हत्या करने के अपराध में सत्र परीक्षण सं0-06/1999 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 364/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या-01, एटा के आदेश दिनांक 07-10-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा (2) दिनांक 20-01-2002 को बंदी द्वारा अपने भाई सत्यप्रकाश के साथ मिलकर पिता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से अपने चाचा श्री प्रताप की हत्या करने के अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-460/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-02, एटा के आदेश दिनांक 23-07-2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बंदी जी0एस0टी0 नं0-560/2002 में यू0पी0जी0 एक्ट की धारा-2/3 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर कोर्ट संख्या-2, एटा के आदेश दिनांक 28-09-2017 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 44 वर्ष, 01 माह, 14 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य में अपराध की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, पक्षों में तनाव तथा शान्ति व्यवस्था भंग होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 02 घटनाओं में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शंकर पुत्र श्री चिरंजीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in